हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 जनवरी, 1998

(द्वितीय बैठक)

खण्ड–1, अंक–7

अधिकृत विवरण

विशत सूची

वीरवार, 22 जनवरी, 1998

पृश्ठ संख्या

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(7)1
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(7)1
सदन की पेज पर रखे गए कागज–पत्र	(7)2
समितियों की रिपोर्टस पेश करना	
(i) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 46वीं रिपोर्ट	(7)3
(ii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 43वीं रिपोर्ट	(7)3
(iii) ऐस्टिमेटस कमेटी की 30वीं रिपोर्ट	(7)3
(iv) सरकारी आश्वासन समिति की 29वीं रिपोर्ट	(7)3
(v) अनुसूचित जातियों तथा जनजाति कल्याण समिति की 23वीं रिपोर्ट	(7)4
बिल्ज –	
(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न.1) बिल, 1998	(7)4
वक्तव्य –	(7)8

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न.1) बिल, 1998 (पुनरारम्भ)	(7)9
(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन वोट औन–अकांउट (न. 2) बिल, 1998	(7)9
(iii) दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1998	(7)15
(iv) दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा सैंकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1998	(7)16
सरकारी संकल्प –	
(i) हरियाणा राजय बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण की राज्य सरकार द्वारा सीमा निर्धारण करने की अनुसूति के सम्बन्ध में	(7)20
(ii) स्टेट कोआर्डिनेशन कमेटी में दो सदस्यों को मनोनीत करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को अथोराईज करने सम्बन्धी	(7)21

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 22 जनवरी, 1998

(द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में 15.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो. छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon. Members, now the Minister of State for Parliamentary Affairs will move the motion under Rule 15.

Minister of State for Public Relations (Sh. Attar Singh Saini): Sir, I beg to move –

That the procedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting fromthe provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the procedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting fromthe provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Question is –

That the procedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting fromthe provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Parliamentary Affairs will move the motion under Rule 16.

Minister of State for Public Relations (Sh. Attar Singh Saini): Sir, I beg to move –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र

Mr. Speaker: Now a Minister will lay papers on the table of the House.

Minister of State for Public Relations (Sh. Attar Singh Saini): Sir, I beg to lay on the Table –

Mines and Geology Department Notification No. G.S.R. 63/C.A.67/1957/S.15/97, Dated the 31st July, 1997 regarding the Punjab Minor Mineral Concession (Haryana Amendment) Rules, 1997 as required under section 28(3) of the Mines and Minerals (Regulations and Development) Act, 1957.

Mines and Geology Department Notification No. G.S.R. 83/C.A.67/57/S.15/97, Dated the 11st November, 1997 regarding the Punjab Minor Mineral Concession (Haryana Second Amendment) Rules, 1997 as required under section 28(3) of the Mines and Minerals (Regulations and Development) Act, 1957.

The Statement Showing the Loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 31.12.1997 as required under Section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The Annual Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 1996-97 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 22nd Annual Report of the Haryana Concast Limited for the year 1995-96 as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 26th Annual Report of the Haryana State Small Industries & Exprot Corporation Limited for the year 1992-93 as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 27th Annual Report of the Haryana State Small Industries & Exprot Corporation Limited for the year 1993-94

as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 28th Annual Report of the Haryana State Small Industries & Exprot Corporation Limited for the year 1994-95 as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 29th Annual Report of the Haryana State Small Industries & Exprot Corporation Limited for the year 1995-96 as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

समितियों की रिपोर्टस पेश करना

(i) पब्लिक अकाउंअस कमेटी की 46वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Now Sh. Anil Vij. Chairman of the Committee of Public Accounts will present the Forty Sixth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1997-98, on the Report of the Comptrolleer and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1994 (Civil and Revenue Receipts).

Chairman, Committee on Public Accounts (Sh. Anil Vij): Sir, I beg to present the Forty Sixth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1997-98, on the Report of the Comptroller and Auditor General of India, for the year ended 31st March, 1994 (Civil and Revenue Receipts).

(ii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 43वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Sh. Narpender Singh. Chairman, Committee on Public Undertakings will present the Forty Third Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1997-98 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1994-95 (Commercial).

Chairman, Committee on Public Undertakiings (Sh. Narpender Singh): Sir, I beg to present the Forty Third Report of the Committee on Public Undertaking for the year 1997-98 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1994-95 (Commercial).

(iii) एस्टिमेटस कमेटी की 30वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Sh. Sat Pal Sangwan Chairman of the Committee of Estimates will present the Thirtieth Report of the Committee of Estimates for the year 1997-98.

Chairman, Committee on Estimates (Sh. Sat Pal Sangwan): Sir, I beg to present the Thirtieth Report of the Committee on Estimates for the year 1997-98.

(iv) सरकारी आश्वासन समिति की 29वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Sh. Somvir Singh, a member of the Commitee on Government Assurances will present the Twenty Ninth Report of the Committee on Government Assureances for the year 1997-98.

Chairman, Committee on Government Assurances (Sh. Somvir Singh): Sir, I beg to present the Twenty Ninth

Report of the Committee on Government Assurances for the year 1997-98.

(v) अनुसूचित जातियों तथा जनजाति कल्याण समिति की 23वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Sh. Kapoor Chand, Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will present the Twenty Third Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1997-98.

Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Sh. Kapoor Chand Sharma): Sir, I beg to present the Twenty Third Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1997-98.

बिल्ज

(i) हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 1) बिल, 1998

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1998 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sh. Charan Dass): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1998.

Sir, I also move –

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह तो 1997–98 की सप्लीमेन्टरी एस्टिमेटस का एप्रोप्रिएशन बिल है यदि इस पर भी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो, बोलिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल की मांग न. 4, 9, 10 और 23 पर बोलना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग न. 4 राजस्व से संबंधित है। इस मांग की आईटम न. 3 नैचुरल कलैमेटिज से संबंधित है, इसके बारे मैं मैं कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में आज एक बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है क्योंकि हरियाणा के किसानों की 3 फसलें लगातार तकरीबन पूरी तौर पर बर्बाद हो गई हैं। सबसे पहले तो हरियाणा में कपास की फसल, खराब मौसम की वजह से, या अच्छी और सही कीटनाशक दवाईयां या अच्छे बीज न मिलने की वजह से खराब हुई। जो स्प्रे वगैरह किया जिसमें टोटल लागत पर एकड़ कपास की फसल पर 10 हजार रूपये तक आती है। हमारे प्रदेश के उन 5 जिलों में जिनमें भरपूर मात्रा में कपास होती है वह पूर्णतया नश्ट हो गई। इनमें हिसार, भिवानी, जीन्द, रोहतक और

कैथल का कुछ भाग है जहां पर इस फसल को नुकसान हुआ था। अध्यक्ष महोदय इसी प्रकार से धान की फसल थी उसमें चाहे सुपरफाईन पी.आर. वैराईटी थी और चाहे वह बासमती की वैराईटी थी उसको तो बहुत अधिक नुकसान हुआ। बेमौसमी बारिश की वजह से पी.आर. सुपरफाईन वैराईटीज की धान की फसल 70 प्रतिशत तक बर्बाद हो गई थी। बेमौसमी बारिश होने का नतीजा यह निकला कि हरियाणा के किसान की धान की फसला या तो पानी के अन्दर गिरी हुई काटनी पड़ी या फिर बरसते हुए पानी के अन्दर काटनी पड़ी या फसल काट ली तो उसके बाद बेमौसमी बारिश हो गई। बेमौसमी बरसात होने के कारण धान की कटी हुई फसल को भी काफी नुकसान हुआ और नतीजा यह निकला कि धान का दाना काला पड़ गया। सरकारी ऐजैसियां जो धान खरीदती हैं, जिनमें एफ.सी.आई. भी शामिल है, तथा हरियाणा सरकार की जो ऐजैसिज थी उन्होंने किसान को उसकी फसल का सही रेट नहीं दिया जिसके कारण किसान बड़ी भारी मुश्किल में है। (विघ्न)

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से श्री सुरजेवाला को एक बात बताना चाहता हूं। श्री सुरजेवाला जी कृशि के मामले की बात कर रहे हैं लेकिन इनको कृशि के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इनका ज्यादातर टाईम तो यहां चण्डीगढ़ में गुजरता है क्योंकि ये यहीं चण्डीगढ़ में रहते हैं और वकील होने के नाते हाईकोर्ट का

बहुत ज्यादा काम इनको करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि बेमौसमी बारिश होने की वजह से किसान को बहुत परेशानी हुई और थोड़ा–बहुत फसल का नुकसान भी हुआ। इन्होंने सिरसा में इवाईयों की बात की तथा कहा कि बीज की व्यवस्था सरकार ने ठीक नहीं की। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार ने किसानों के एिल सही बीज का इन्तजाम किया है, सस्ता पानी और खाद का इन्तजाम किया है, अच्छे बीच किसानों को उपलब्ध करवाए गए हैं। एक बात इन्होंने कपास के खराब होने की कही तो मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि कपास की जो बीमारी है वह केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि पंजाब और यू.पी. में भी फैली है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार के साईटिस्टों ने स्वयं इस मामले में बहुत अधिक रूचि ली है। कृशि विभाग ने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साईटिस्टों को वहां पर मुकर्रर किया था और उन्होंने किसानों को इस बारे में काफी जानकारी दी और उनमें सही काम करवाया है। मैं श्री सुरजेवाला से यह कहूंगा कि उनको चाहिए कि जो सही बात हैव ही सदन में बताएं केवल कटाक्ष करने के लिए या केवल क्रिटिसाईज करने के लिए उनको कोई बात नहीं करनी चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जो विपक्षा का सदस्य है और विपक्ष में बैठा है वह अपनी बात तो कहेगा ही। मंत्री जी शादय अपने महकमे की बात बता रहे हैं। मैं कृशि मंत्री

जी की जानकारी के लिए एक और बात बताना चाहूंगा कि हरियाणा में और आमतौर से उत्तर भारत में जो नकली कीटनाशक दवाईयां बिक रही हैं उसके बारे में नेशनल कौंसिल ऑफ रिसर्च एंड एग्रीकल्चर, भारत सरकार ने एक पत्र कृशि विभाग को भेजा है जिसमें नकली इवाईयों का जिक्र किया है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है, श्री सुरजेवाला जिसका जिक्र कर रहे हैं वह सच नहीं है। भारत सरकार से कोई भी ऐसा पत्र कृशि विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। अगर भारत सरकार ने कोई पत्र लिखा है तो ये उस पत्र का नम्बर तथा उसकी डेट यहां पर सदन में बता दें। सुनी सुनाई बात न कहें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह सुनी–सुनाई बात नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुख की बात है कि आज किसानों पर बहुत बड़ा संकट है और सत्ता पक्ष वाले इस बात को मजाक में ले रहे हैं। धान का रेट 445 रूपए प्रति क्विंटल फिक्स किया था। ये भाई न तो वह रेट किसानों को एफ.सी.आई. के द्वारा दिलवा सकें हैं और न ही सरकार ने दिया है। फार्मर्ज को खुद मंडी में बेचने से नुक्सान उठाना पड़ा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः सुरजेवाला जी, में आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बिना किसी कंट्रोवर्सी के अपनी बात कहें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, अगर किसानों की बात यहां पर कहना कंट्रोवरसीयल है तो आप बताएं कि में क्या बात कहूं।

श्री कर्ण सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि धान का रेट केन्द्र सरकार निर्धारित करती है। इससे पहले जो केन्द्र सरकार थी और जो मौजूदा सरकार है उसमें सुर्जेवाला जी की पार्टी मौजूद थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कहा कि ये कीमतें बहुत कम हैं और कीमतों को बढ़ाने के बारे में बहुत बल दिया। इन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा धन हमारे किसानों को देना चाहिए क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसानों का धान उगाने में सबसे ज्यादा हिस्सा है। केन्द्र सरकार में इनके पिता जी भी हैं वे उस दिन कहां थे यह तो ये ही बताएंगे। जब धान के रेट फिक्स हो रहे थे तो ये उनको उस दिन यह बात कहनी चाहिए थी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी या तो अखबार पढ़ते नहीं हैं अगर पढ़ते हैं तो ये इस बात को जानबूझ कर भूल रहे हैं। जब धान का 445 रूपये प्रति क्विंटल का रेट निर्धारित हुआ था तो हमारी पार्टी के नेात चतुरानन्द मिश्र

जोकि मिनिस्टर थे उनसे मिले और कहा कि यह रेट पूरा नहीं है इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बारे में पार्लियामैंट में 40 मिनट चर्चा हुई थी। यह रिकार्ड की बात है। अगर ये चाहें तो रिकार्ड देख सकते है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो केन्द्र सरकार ने रेट फिक्स किए हैं वे तो किसानों को मिलें। अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों का धान काला हो गया था और उनको मजबूरी में अपना धान सस्ते रेटों पर बेचना पड़ा था उनको भी वही दाम मिलना चाहिए। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, जो धान काला हुआ है। हमने उसके लिए भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और फूड मिनिस्टर को लिख कर भेजा है। यह जो कंट्रोवर्सी खत्म करने वाली बात है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि भाई राम बिलास शर्मा जी ने सिगनल दिलवा दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह जो तिलहन की फसल थी उसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा किसानों को नुक्सान हुआ है। आधे से ज्यादा किसान अपने खेतों में फसल नहीं बो पाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं सुरजेवाला जी से कहूंगा कि ये जो बात सदन में कहें वह सच बात कहें। इन्होंने कल भी यही बात कही थी आज भी वही बात कह रहे हैं। यह जो इन्होंने 50 प्रतिशत वाली बात

कही है यह गलत बात है। हां मैं यह मानता हूं कि प्रदेश में किसानों के कुछ खेतों में पानी खड़ा है और वे उनमें अपनी बिजाई नहीं कर सके। मैंने कल भी इस बारे में कहा था कि हम ऐसे किसानों के लिए लेट वैरायटी के बीज उपलब्ध करवाने का रहे हैं। सन फलोवर के बीज बहुत बड़ी मात्रा में हम इक्ट्ठे करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी बात बिल्कुल गलत है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर अधिकतर किसानों ने अपनी भूमि की बुआई का काम कर दिया है और जो थोड़े बहुत खेत अभी रहते हैं वे भी उस पर जल्दी ही बुआई कर देंगे हम इस बारे में प्रयासरत हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, अच्छा होगा कि मंत्री जी आरोप–प्रत्यारोप की बजाए किसानों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। सर, आप भी जानते हैं कि अभी भी बहुत सारी जमीन ऐसी है जिस पर बिजाई नहीं हो सकी है। अगर गेहूं की बिजाई दिसम्बर के आखिरी हफ्ते में, आखिरी फोरट नाईट में या जनवरी के पहले हफते में हुई है तो उसमें समय पर की गई बिजाई के मुकाबले में बहुत कम पैदावार होगी। यह बात बिल्कुल साफ है। आज कल भी मौसम साफ नही है। इससे गेहूं की फसल प्रभावित होगी और कम पैदावार होगी इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह इस तरफ ध्यान दें। किसान की तीन–तीन फसलें बर्बाद होने की वजह से आज हरियाणा का किसान आंध्र प्रदेश के किसान की तरफ से हो गया

है। अध्यक्ष महोदय, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि वहां के किसान की क्या हालत हो गयी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह ठीक है कि ये विपक्ष के खिलाफ हैं लेकिन इनकी भी हरियाणा के किसान के प्रति और इस सदन के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। इनके कहने का मतलब तो यह है कि यहां पर कोई न कोई आन्दोलन होता रहे। ये इस तरह से बातें करके किसानों को आन्दोलन के लिए कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के किसानों की हालत कुछ और है और हरियाणा के किसानों की हालत कुछ और है। हरियाणा का किसान खुशहाल है वहा सारे देश का पेट पालने का काम करता है। हरियाणा के किसान की तुलना आंध्र प्रदेश के किसान से नहीं की जा सकती। इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: सुरजेवाला जी, अब आप बैठिए क्योंकि अब आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, मुझे तो आपने पांच मिनट का समय दिया था। मैं अपनी बात अभी कंक्लूड कर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, अब आप बैठे। आपको बोलते हुये 12 मिनट हो गये हैं। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। ****

श्री अध्यक्ष: अब ये जो भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, *****। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: सुरजेवाला जी, आप अब बैठिए। आप हाई कोर्ट के वकील हैं इसलिए आप जानते हैं। अब आप बैठें।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is –

That Schedule be the Schedule of the Bill

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Finance Minister to move that the bill be passed.

Finance Minister (Sh. Charan Dass): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

वाक आउट

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इस बिल के बारे में बोलने के लिए आप मुझे 5 मिनट का समय और दे दें ताकि मैं अपनी बात कंक्ल्यूड कर सकूं।

श्री अध्यक्ष: सुरजेवाला जी, आप कृपया बैठ जाएं। आप हाई कोर्ट के वकील हैं इसलिए आपको रूल्ज एण्ड रैगुलेशनज का पता है फिर भी आप मेरी परमीशन के वगैर बोल रहे हैं। (शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, यदि आप मुझे इस बिल के बारे में बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला सदन से वाक आउट कर गए।)

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न.1) बिल, 1998 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन वोट औन–अकांउट (न. 2) बिल, 1998

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will introdure the Haryana Appropriation Vice-on-Account (No. 2) Bill, 1998 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sh. Charan Dass): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation Vice-on-Account (No. 2) Bill, 1998.

Sir, I also move –

That the Haryana Appropriation Vice-on-Account (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Appropriation Vice-on-Account (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात साफ करना चाहता था कि लीडर आफ दि अपोजीशन श्री ओम प्रकाश चौटाला, चौ. भजन लाल तथा दूसरे साथियों ने एक बात कही कि सरकार वोट ऑन अकांउट ला करके भाग रही है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि भागने की हमारी आदत नहीं है

भागने की आदत इनकी है। वोट आन अकांउट इसलिए लाए चूंकि हमने पूरे बजट के कागज कम्पलीट करने शुरू कर दिए थे लेकिन पूरे कागज कम्पलीट इसलिए नहीं कर सके क्यों कि श्री ओम प्रकाश चौटाला ने इलैक्शन कमीशन को एक रिप्रैजैन्टेशन दिया, कंप्लेन्ट की कि हरियाणा विधान सभा का अधिवेशन आरहा है इसमें कहीं कोई नहीं स्कीम शामिल न की जाए तो इस पर इलैक्शन कमीशन ने हमसे कमैंटस मांगे, हमने कमीशन से कह दिया कि हम कोई नयी स्कीम नहीं रखेंगे, इसलिए हमने इसमें ऑन–गोईग स्कीम्ज का प्रावधान किया है। दूसरी बात यह है कि साइमलटेनियसली डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन को हमने लैटर लिख दिया है कि प्लान जनवरी में डिसकस हुआ करता है इसलिए आप हमारा प्लान डिस्कस करो। डिप्टी चेयरमैन ने जवाब दिया कि आपका प्लान नयी गवर्नमैंट आने के बाद डिस्कस होगा। नयी गवर्नमैंट जब भी आती है तो वह अपना प्लानिंग कमीशन बनाती है। पुराने मैम्बरों को हटा देते हैं और नये बना लेते हैं। उस गवर्नमैंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि किस वेस पर सैन्ट्रल असिसटैंस देना चाहते हैं वह भी मई–जून से पहले तय नहीं हो सकते इसलिए वोट ऑन अकांउट ले आये हैं और ये भाई बार–बार 16 फरवरी की बात करते रहे हैं। 16 फरवरी के बाद तो ये शक्त भी नहीं दिखाएंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं वोट ऑन अकाउंट के रैवेन्यू और शिक्षा के हैड पर बोलना

चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मांग न. 9 में शिक्षा के बारे में चर्चा की है। मैं आपके ध्यान में एक अहम मुद्दा लाना चाहता हूं जिससे हरियाणा की जनता का हित जुड़ा हुआ है, विशेश तौर पर विद्यार्थियों का हित जुड़ा हुआ है। इस मांग की तरफ मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अग्रोहा मैडीकल कालेज का सरकार की तरफ से जो सरकारी ऐड मिलती थी वह बन्द पड़ी है और उसको दोबारा चालू करने का मामला काफी अर्से से लटका हुआ है। सरकार ने उसके बारे में कोई फैसला नहीं किया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके साथ न सिर्फ पूरे प्रान्त के अग्रवाल समुदाय की ईमानदारी की भावना जुड़ी हुई है बल्कि वहां पर हर जाति और बिरादरी के विद्यार्थी कंपीटिशन लड़ने के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: सुरजेवाला जी आप हय बतायें कि यह ऐड किस सरकार ने बन्द की और कौन सी तारीख को बन्द की।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, पिछले डेढ़ साल से तो मौजूदा सरकार सत्ता में है मैं इस समय वोट आन अकाउण्ट पर बोल रहा हूं। अगर पिछली बात करूंगा तो आप फिर कहेंगे कि पिछली बात क्यों कर रहे हो। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहूंगा कि यह अग्रोहा मैडीकल कालेज का ऐसा मामला है जिससे बच्चों का भविश्य जुड़ा हुआ है। (विघ्न)

Education Minister (Sh. Ram Bilas Sharma): Speaker, Sir. Sh. Randeep Singh Surjewala always tries to politicalise the matter. He knows very well about Maharaja Agarsen Medical College, Agroha. Speaker, Sir, there was an agreement between the management of that Collage and the Government. Sh. Banarsi Dass Gupta was the Chief Minister at that time and fortunately he was also the head of the Trust at that time. We are following that agreement and according to the agreement, we have given Rs. 8 crores to that college. This Govt. has not stopped any grant to this Medical College. अब चुनाव को ध्यान में रखकर सुरजेवाला जी मैडीकल कालेज, अग्रोहा का नाम लेकर राजनीतिकरण करना चाहते हैं क्योंकि श्री औमप्रकाश जिन्दल जी हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं और वह चुनाव क्षेत्र इनके हल्के में पड़ता है। इसके अलावा इनके कहने का कोई सार नहीं है। वर्तमान सरकार विपक्षी भाईयों को कई बार कह चुकी है कि हमें किसी भी बात के लिए तारीख व अमाउंट बताओ लेकिन ये आज तक हमें तारीख और अमाउंट नहीं बत सके कि कौन से सरकार ने यह ऐड बन्द की थी और कब की थी। कौन सा विधान है और कोन सी इनकी बात नहीं मानी यह सब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि चौ. बंसी लाल जी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री देवगोड़ा जी को अग्रोहा लेकर आये थे और अग्रोहा मैडीकल कालेज के लिए 25 करोड़ रूपया देने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ने नाते अच्छी तरह से पैरवी की थी। पिछली सरकार का मामला कम से कम ये हमारे जिम्मे तो न डाले।

Sh. Randeep Singh Surjewala: Speaker, Sir, **** (Interruptions)

Mr. Speaker: Do not beat about the bush.

Sh. Randeep Singh Surjewala: It is not a question of beating about the bush.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Kindly ask Mr. Surjewala to tell, what was the exact date on which the decision to stop the grant to Maharaja Agarsen Medical College was taken and by whom it was taken and who was present at that time? Let him tell. (Interruptions).

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, रणदीप जी, आप वह तिथि और महीना बता दें जब वह ऐड बंद की गई थी (विघ्न) otherwise don't try to misguide the House.

Sh. Randeep Singh Surjewala: Sir, it is not a question of misguiding the House. ****

Mr. Speaker: Nothing to be recorded. Mr. Surjewala, don't go beyond the facts. Don't try to misguide the House.

श्री रामबिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको टविस्ट करने से मामला खराब हो जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि महाराजा अग्रसैन मैडीकल कालेज, अग्रोहा के

छात्रों को उस ट्रस्ट ने दाखिला दे दिया। As there is no Hostel, no staff and no professor in Agroha Medical College, इसलिए महोदय, रोहतक में जो पंडित भगवत दलाल शर्मा पी.जी.आई. मैडीकल कालेज हे, उसमें अग्रोहा मैडीकल कालेज के बच्चे पढ़ रहे हैं। यह हरियाणा सरकार का मैडीकल कालेज है, वहां पर होस्टल है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आज तक भी अग्रोहा मैडीकल कालेज के बच्चे रोहतक मैडीकल कालेज में पढ़ रहे हैं they are on the roll और ये भाई ऐसे ही बोले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से चीजों को टविस्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अग्रोहा मैडीकल कालेज में कोई छात्रावास नहीं है, सुविधा नहीं है, वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, वहां कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम अग्रोहा मैडीकल कालेज के बच्चों के कैरियर की चिंता करते हुए उनको रोहतक मैडीकल कालेज में पढ़ा रहे हैं। (विघ्न)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, सुबह जब मैं जवाब दे रहा था तो एक बात कलीयर करना भूल गया। श्री ओम प्रकाश जी ने एक बात कही थी कि वे जैसे ही सरकार में आते हैं, गन्ने का भाव 22 रूपए प्रति क्विंटल से 44 रूपये प्रति क्विंटल कर देंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को श्री ओम प्रकाश चौटाला के समय का गन्ने का भाव बताना चाहता हूं। वर्श 1987–88 में जनरल वैराइटी के गन्ने का भाव 28 रूपये प्रति क्विंटल दिया। वर्श 1988–98 में जनरल वैराइटी के गन्ने का भाव 31 रूपये प्रति

क्विंटल कर दिया यानि कि 3 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया। इस वर्श इन्होंने 3 रूपये ही मिड वैराइटी और 3 रूपये ही अरली वैराईटी के गन्ने का भाव प्रति क्विंटल बढ़ाया यानि मिड वैराइटी के गन्ने का भाव 33 रूपये प्रति क्विंटल और अरली वैराइटी के गन्ने का भाव 35 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया। वर्श 1989–90 में इन्होंने जनरल वैराइटी के गन्ने का भाव 31 रूपये से 36 रूपये प्रति क्विंटल यानी कि 5 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया और मिड वैराइटी के गन्ने का भाव 33 रूपये से 38 रूपये अर्थात 5 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया। वर्श 1990–91 में इन्होंने जनरल वैराइटी के गन्ने का भाव 36 रूपये से 41 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया तथा मिड वैराइटी के गन्ने का भाव 38 रूपये से 43 रूपये अर्थात 5 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया। इस वर्श इन्होंने अरली वैराइटी के गन्ने का भाव 40 रूपये से 45 रूपये प्रतिक्विंटल कर दिया। इन्होंने तो गन्ने के अपने समय में ये भाव दिए थे और वे कहते थे कि आते ही गन्ने का भाव 22 रूपये से 44 रूपये प्रति क्विंटल कर दूंगा। इस हिसाब से अब तक तो गन्ने का भाव 88 रूपये प्रति क्विंटल हो जाना चाहिए था। लेकिन अब ये भाई तो हाउस को मिसगाइड कर के चले गये हैं। उन्होंने हाउस को मिसलीड किया। उन्होंने पानीपत और भूना शूगर मिलों की री–माडलिंग की और उनमें घटिया मशीनें लगाई। कैथल, भूना और महम में जो शूगर मिलें लगाई हैं उनमें ऐसी घटिया मशीनें लगाई जिनकी रिकवरी होनी मुश्किल हो रही है। ऐसी उनकी परफोरमैन्स थी। जब देवी लाल

मुख्यमंत्री थे तब किसानों ने अपने खेतों में खड़ा गन्ना जलाया। ये बात मैं साफ करना चाहता था।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation Vice-on-Account (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is –

That Schedule be the Schedule of the Bill

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Finance Minister to move that the bill be passed.

Finance Minister (Sh. Charan Dass): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुरजेवाला जी कभी प्रदेश के बारे में कभी शिक्षा के बारे में कहते हैं। सामने वाले भाई और प्रैस के भाई भी जानते हैं कि इनको अपनी सारी अनाप–शनाप बातें कहने की आदत है लेकिन जब इनकी सुनने की बारी आती है तो ये यहां से भागकर चले जाते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सुरजेवाला की पार्टी का इस प्रदेश में राज था तब हरियाणा की भोली–भाली जनता पर कितने जुर्म और अत्याचार हुए। इसी तरह से ओम प्रकाश चौटाला जो किसानों के और प्रदेश के हितैशी बनते हैं। मेंने कल भी उनके सामने यह बात कही थी और आज फिर मैं यह बात कहता हूं कि औम प्रकाश चौअटाला यहां सदन में कहा करते थे कि मैं तो वह मुख्यमंत्री हूं, ओम प्रकाश चौआला हूं जिसके नाम से डर कर लाख दो लाख आदमी रात को करवट बदल कर न सोये तो मेरा नाम ओम प्रकाश चौटाला कहां। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जिस समय पिछली सरकार में चौ. भजन लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वे हवाई जहाज के पहिये नहीं टिकने दिया करते थे। वे दिल्ली से जितनी भी स्टेटस की राजधानियां हैं वहां जा जाज करके स्टेट के गरीबों का पैसा खर्च करते थे और वह पैसा नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए इस्तेमाल होता था। स्पीकर साहब, कांग्रेस के भाईयों को अगर बोलना है तो इनको संभल कर बोलना चाहिए। हमने लोगों की भलाई के लिए जो काम किए हैं उनको इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। स्पीकर

साहब, जब से चौ. बंसी लाल जी के नेतृत्व में भाजपा और हविपा की गठबंधन सरकार बनी है तबसे इसमें प्रदेश की 36 बिरादरी के लोगों की भलाई करने का प्रयास किया है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ये कौन से बिल पर बोल रहे हैं।

श्री मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात और क्लीयर कर देना चाहता हूं। महराजा अग्रसेन मैडीकल अग्रोहा की जो ग्रांट बंद की थी वह जुलाई 1995 में चौ. भजन लाल ने बंद की थी। जिस मीटिंग में वह ग्रांट बंद की गई उसको चौ. भजन लाल ने प्रिजाइड किया था। उस मीटिंग में बनारसी दास गुप्ता, घनश्याम दास गोयल ओर वासूदेव अग्रवाल मौजूद थे। उस मीटिंग में इनके वाइस प्रैजीडैंट राम कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। उस मीटिंग में हरियाणा प्रदेश के एक्स चीफ सैक्रेटरी श्री एस.सी.गुप्ता जो एडवाइजर थे वह भी मौजूद थे इनके अलावा एक दो आदमी और थे उनका नाम मैं भूल गया। इसके अलावा उस समय के फाइनैंस मिनिस्टर श्री मांगे राम गुप्ता भी उस मीटिंग में मौजूद थे। इन सब आदमियों की मौजूदगी में चौ. भजन लाल ने उसकी ग्रांट बंद की थी और उन सबने इस बात को एग्री किया था कि करंट ईयर के बाद महाराजा अग्रसेन मैडीकल कालेज अग्रोहा को ग्रांट नहीं दी जाएगी एंड आल पीपल एग्रीड। उस मीटिंग के मिनटस में इट बाज एग्रीड। उसमें हमारा क्या कसूर है। अध्यक्ष महोदय, उसकी ग्रांट कब तक

थी, 31.3.96 तक यानि 31.3.96 को वह ग्रांट खत्म हो गई और चौ. भजन लाल की 11.5.1996 को छुट्टी हो गई। हम तो उसके बाद आए हैं। हम तो भजन लाल की छुट्टी होने के बाद आए हैं यानी 31.3.96 को ग्रांट की आखिरी तारीख खत्म हो गई हम तो उसके बाद पांचवे महीने में आए हैं। क्या इन्होंने भजन लाल को कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता श्री भी भजन लाल के चक्कर काटते थे। (शोर)

श्री अध्यक्ष: सुरजेवाला जी, मुझे इन दोनों तारीखों का पूरी तरह से ज्ञान है जुलाई का और मार्च का लेकिन मैं आपसे जानना चाहता था कि आपको उन तारीखों का पता है या नहीं। इसलिए मैंने आपसे रिक्वैस्ट की थी कि आप अपने रिकार्ड में वह तारीख देखें यह मुझे पता नहीं आपके पास वह तारीखें थी या नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जो 31 जुलाई और 31.3.96 की तारीख बताई है वह सही है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदन के नेता ने यह कहा कि जुलाई 1995 में उस कालेज की जो ग्रांट थी उसका उसके बाद यह फैसला कर लिया गया कि उस साल के बाद ग्रांट आगे नहीं दी जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस कालेज की संस्था को रिकोगनइजेशन दे रखी है या नहीं। सवाल यह है कि वह दे रखी है अगर दे रखी है तो अगर उसकी

परिस्थितियां बदल जाएं और उस संस्था को ग्रांट की आवश्कता पड़े (शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और मंत्री बीच में खड़े हो कर बोल रहे हैं इनका यह कोई तरीका है। मंत्री जी हमारी हर बात पर खड़े होकर बोलने लग जाते हैं और आप उनको बोलने की इजाजत दे देते हैं यह कोई तरीका नहीं है। यदि ये उसको फिर ग्रांट दे दें तो उसमें क्या बुराई है।

श्री अध्यक्ष: सुरजेवाला जी, आप बैठ जाएं।

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गवर्नर एड्रैस पर यानी महामहिम ने जो अपना अभिभाशण यहां पर दिया उस पर विभिन्न पार्टियों ने चर्चा में हिस्सा लिया। इसमें सभी पार्टियों को जो समय दिया गया वह इस प्रकार है, हरियाणा लोक लद को 5 घंटे 29 मिनट, कांग्रेस आई को 3 घंटे 11 मिनट, हरियाणा विकास पार्टी को 2 घंटे 49 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 1 घंटा, इंडीपेडेंटस को 1 घंटा 3 मिनट और समता पार्टी को निल यानि कुल 13 घंटे 32 मिनट का समय महामहिम के अभिभाशण पर बोलने का समय मैम्बर्ज को दिया गया है।

श्री बंसी लाल: इससे पहले गवर्नर ऐड्रैस पर बोलने के लिए कितना समय दिया जाता रहा है?

श्री अध्यक्ष: इससे पहले मैक्सिमम 12 घंटे का समय रहा है। अब मैं एक और सूचना हाउस को देना चाहता हूं कि हाउस की एक रूल्ज कमेटी बनी हुई है। इसकी 62 मीटिंग्ज हुई हैं। इसमें सभी पार्टियों के मैम्बर्ज थे। कमेटी ने इसके रूलों में कुछ परिवर्तन किया हे। इस परिवर्तन के बारे में मैं सदन के सभी सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कमेटी ने रूल 17 को सबस्टीच्यूट किया है, which reads as under –

"Observance of order during Governor's Address. No member shall interrupt the Governor when he is addressing the House; or display any placed; or shout any slogans; or make any protest; or raise any point of order, debate or dicussion or other-wise wilfully disrupt the proceedings, immediately preceding, or during, or immediately following the Governor's Address under Article 175 (1) of the Constitution and the Governor's Special Address under Article 176(1) of the Constitution, and the Commission of any of the above lapses shall be treated as comtempt of the House and dealt with as such under these rules."

(iii) दी पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1998

Mr. Speaker: Now the Prohibition & Excise Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1998 and will also move the motion for its consideration.

Food & Supplies Minister (Sh. Ganeshi Lal): Sir, I introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1998.

Sir, I also move –

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Prohibition & Excise Minister to move that the bill be passed.

Food & Supplies Minister (Sh. Ganeshi Lal): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दी पंजाब एक्साईज (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1998

Mr. Speaker: Now the Prohibition & Excise Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill, 1998 and will also move the motion for its consideration.

Food & Supplies Minister (Sh. Ganeshi Lal): Sir, I introduce the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill, 1998.

Sir, I also move –

That the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में में 2–3 सुझाव आपके माध्यम से मंत्री जी को देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में 3–4 बातों को कोई प्रावधान नहीं किया गया है जैसे कल भी चर्चा में आया कि अगर ऐसा कोई व्हीकल, सरकारी बस या कोई भी ऐसी गाड़ी या व्हीकल जिसमें गाड़ी के आनर या ड्राईवर की नालेज के बिना ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो जो अपने साथ शराब लेकर या कोई और ऐसी चीज लेकर बैठा हो और वह गाड़ी पकडी जाए तो आज

के दिन वह व्हीकल, चाहे वह सरकारी व्हीकल हो क्यों न हो, अन्दर होगा। इससे आज जनता और व्हीकल आनर्ज तथा ड्राईवर्ज काफी तंग हैं। जो सरकारी बसें हैं, हरियाणा रोडवेज को इस बात की काफी तंगी आ रही है। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि क्लाज–2 के बाद सैक्शन–79 में इस बात की पावर डिप्टी एक्साईज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को दी जाए कि अगर डिप्टी स्पीकर एंड टैक्सेशन कमिश्नर या कलैक्टर को विलीफ हो कि जो व्हीकल पकड़ा गया है उसके आनर या ड्राईवर के नालेज में यह बात नहीं थी कि कोई व्यक्ति शराब लेकर उस व्हीकल में जा रहा है, तो उस व्हीकल को रिहा कर सके। इस बात का प्रावधान इस बिल के अन्दर किया जाए, यह मेरा सुझाव है। (विघ्न)

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिह दलाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है, आप देखिए कि इनकी नीयत कैसी है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन है कि यह कोई प्वांयट आफ आर्डर की बात नहीं है। इस बिल का जवाब तो एक्साईज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर जी ने देना है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो जवाब देंगे ही ओर इनको बड़ा बढ़िया जवाब देंगे और इनकी

तबीयत खुश कर देंगे क्योकि मंत्री महोदय तो बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप इनको बोलने दें। Please speak to point.

Sh. Randeep Singh Surjewala: I am speaking to the point. I am only giving suggestions as to what amendment is to be made. It is upto the concerned Minister whether to accept it or reject it. सर, इसी प्रकर से सैक्शन–79 की सब–क्लाज–2 के अन्दर इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रोसिक्यूशन लांच की जाए या लांच ने की जाए, फिर भी प्रोपर्टी कौन्फिस्केट की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं से भी एक बात पूछना चाहता हूं और आपके समक्ष भी रखना चाहता हूं कि अगर आपने किसी व्यक्ति को शराब के मामले में पकडने का दोशी ही नहीं पाया ओर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लांच ही नहीं की तो फिर उस प्रोपर्टी को कौन्फिस्केट करने का औचित्य क्या है। कोई एनोमली इस बिल में नजर आती है, शायद इस बिल को ड्राफ्ट करने वाले जो लोग हैं उनसे छूट गई है इसलिए मंत्री जी इस पर गौर करने की कृपा करें। अगर शराब पकड़ी जाए तो प्रोसिक्यूशन लांच क्यों न की जाए। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसिज हो सकते हैं जिसमें शराब पकड़ी जाए लेकिन फिर भी उसमें प्रोसिक्यूशन लांच न की जाए, ऐसी इस बिल की मंशा नहीं हो सकती। ऐसी इस बिल की मंशा नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस बिल

की जो लैग्वेज है उसमें इस बात का संशय पैदा होता है। सैक्शन–79 की सब–क्लाज–2 मंत्री जी पढ़ लें उसमें लिखा हैं:

"On productioin of the said seized property under sub-section (1) the Deputy Excise and Taxation Commissioner or Collector, as the case may be, if satisfied that an offence under this Act has been committed, may, whether or not a prosecution is instituted for the commission of such an offence, order confiscation of such property."

इस 'व्हैदर' और नोट में से यह 'नोट' वर्ड काट दिया जाए, मेरा यह सुजैशन है क्योंकि कोई भी शराब पकड़ी जाए और अगर एक्साईज एक्ट है और सरकार की मन्शा है कि हर ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है तो प्रोसिक्यूशन लांग करना जरूरी है इसलिए इस एनोमली को ठीक किया जाए, यह मेरा दूसरा सुजैशन है। (विघ्न)

बागवानी एवं विपणन राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह मलिक): स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अगर कोई व्हीकल एबडंड स्थिति में हो और उसमें शराब हो तो वह व्हीकल कौन्फिस्केट किया जा सकता है और किसी के खिलाफ केस भी नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में यह क्लाज ऐसे ही रहनी चाहिए। (विघ्न)

16.00 बजे

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सारी बात माननी है, मैं पहले दो–तीन बार सजा भुगत चुका हूं। मैं आपकी इजाजत के बगैर नहीं बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने फरमाया है कि एबन्डंड स्थिति मैं अगर कोई व्हीकल है तो प्रोसिक्यूशन लांच नहीं की जाएगी ऐसी स्थिति में भी व्हीकल के आनर के खिलाफ इंक्वायरी करवा कर प्रोसिक्यूशन लांच की जानी चाहिए। एबंडंड स्थिति में अगर कोई व्हीकल है तो उसका कोई न कोई मालिक जरूर होगा। इस बात का मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में प्रावधान है, आबकारी मंत्री महोदय इस बात को मददेनजर रखकर इसका जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, सैक्शन 79 की सब–क्लाज 4 है। इन्होंने इसमें दो बातों का प्रावधान किया है। एक तो कौफिस्केशन का और दूसररा आक्शन का प्रावधान किया है। जहां तक कौफिस्केशन का सवाल है उसमें तो आपने सैक्शन 79–ए (बी) क्लाज बनाकर व्हीकल के आनर को लिखित में रीप्रैजेटेशन देने की अपोरचूनिटी का प्रावधान कर दिया लेकिन मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि कौफिस्केशन और आक्शन दोनों अलग–अलग चीजें हैं। कौफिस्केशन एक स्टेज है जिस पर आपको आपोरचूनिटी देनी पड़ेगी। आक्शन के समय अगर आप किसी की जायदाद आक्शन करते हैं तो उसको दोबारा फिर लिखित में रीप्रैजेटेशन देने की अपोरचूनिटी देनी पड़ेगी।वह प्रोप्रटी सैक्शन 79–ए के तहत सरकार बेच नहीं सकती। इसका इस बिल में प्रावधान किय गया है इसलिए दोनों स्टेज पर अपोरचूनिटी दी जाए ताकि मिस ट्रॉयल न

हो और कल कोई ऐसा व्यक्ति अपनी चीजें छुडवाकर न ले जा सके। अगर यह लागू करना है तो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला सुझाव इस बारे में यह है कि आपने यह प्रावधान इस बात का किया है कि डिपार्टमैंटली भी किसी का व्हीकल बेचा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जिस किसी का व्हीकल जो कौन्फिरेकेट हुआ है उसको मौका देने के बाद पब्लिक ऑक्शन से बेचा जाए। यह एक बात है। परन्तु डिपार्टमैंटली बेचने का क्या प्रावधान है, इसका क्या तरीका है और कौन उसका प्राईस डिटरमिन करेगा? यह एक बिल्कुल अगल बात है। मेरा मंत्री जी को यह सुझाव है कि यह जो डिपार्टमैंटली वाला प्रावधान है इसको इसमें से डिलिट कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला सुझाव यह है कि यह जो सैक्शन 79 की सब–क्लाज 6 है और 79–ए है ये कन्ट्राडीक्टरी हैं। एक तरफ तो आपने 79–(6) के अन्दर डिप्टी एक्साईड एंड टैक्सेशन कमिशनर को यह पावर दी है कि वह गवाह को बुला सके। अगर कोई अपने डिफैंस में कुछ बात कहना चाहता है तो वह अपनी बात कह सके और अगर कोई और गवाही देना चाहता है तो वह दे सके परन्तु सैक्शन 79 ए में एक और बात का प्रावधान किया गया है कि उसकी सब–क्लाज (बी) में सिर्फ एक ही रिटन रिप्रैजनटेशन देने की इजाजत है। यह बात यहां पर कलैरीफाई होनी चाहिए कि अगर व्हीकल का ऑनर इस बात को डिप्टी एक्साईज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के पास अपनी गवाही और सबूत पेश करके साबित कर सके कि उसकी इजाजत या जानकारी के बिना उसकी गाड़ी में शराब लेकर जाया

जा रहा था तो डिप्टी एक्साईज एंड टैक्सेशन कमिश्नर गवाही भी सुनेगा, उन गवाहों के ब्यान भी रिकार्ड करेगा, जैसे सिविल कोर्ट में प्रावधान किया गया है। उसके साथ–साथ जो सबूत वह व्यक्ति पेश करना चाहे तो वह सबूत भभी वे लेंगे। अध्यक्ष महोदय, सैक्शन 79–डी का भी प्रावधान इस बिल में किया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को सजा हुई हो या कोई व्यक्ति क्रीमिनल केस के अन्दर बरी हो, उसके व्हीकल के कौन्फिस्केशन पर, उसका ऑक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे विचार से यह बहुत ही संगीन मामला है। आप अगर उदाहरण लें तो जिस प्रकार से किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात के लिए बर्खास्त किया जाता है कि उसको किसी क्रीमिनल केस में सजा हो गई और अगर वह अपील में बरी हो जाता है तो उसकी सरी पोजीशन रैस्टोर कर दी जाती है। इस बात पर मंत्री जी गौर करें कि अगर कोई व्यक्ति क्रीमिनल केस में कोर्ट में बरी हो जाता है, वह दोशी नहीं पाया जाता है कि वह उस व्हीकल के अन्दर शराब लेकर नहीं जा रहा था। फिर भी आपने इसमें इस बात का प्रावधान किया है कि अगर आदमी दोश मुक्त हो जाएगा तो भी उसके व्हीकल को बेच दिया जाएगा, कौन्फिस्केट कर लिया जाएगा और सरकार के खजाने में उसका पैसा जमा हो जाएगा। मेरे विचार से इस बिल के अन्दर यह मामला दोशपूर्ण है इस बारे में मंत्री जी दोबारा से विचार करें और नये सिरे से इस बिल को लेकर आएं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है।

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister Excise & Prohibition to move that the bill be passed.

Food & Supplies Minister (Sh. Ganeshi Lal): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

सरकारी संकल्प

(i) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण की राज्य सरकार द्वारा सीमा निर्धारण करने की अनुमति के संबंध में

Mr. Speaker: Now the Minister of Stat for Parliamentary Affairs will move an official resolution.

Minister of State for Public Relations (Sh. Attar Singh Saini): Sir, I beg to move –

"That House approves, under Sub-Section (3), of Section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the Fixation by the State Government of a higher maximum amouth of 2500 crores of rupees, which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under Sub-Section (1) of that Section."

Mr. Speaker: Motion moved –

"That House approves, under Sub-Section (3), of Section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the Fixation by the State Government of a higher maximum amouth of 2500 crores of rupees, which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under Sub-Section (1) of that Section."

Mr. Speaker: Question is –

"That House approves, under Sub-Section (3), of Section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the Fixation by the State Government of a higher maximum amouth of 2500 crores of rupees, which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under Sub-Section (1) of that Section."

The motion was carried.

(ii) स्टेट कोआर्डीनेशन कमेटी में दो सदस्यों को मनोनीत करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को अथोराईज करने संबंधी

Mr. Speaker: Now the Minister for Social Welfare will move an official resolution.

स्थानीय शासन मंत्री (डा. कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत करती हूं कि –

यह सदन हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को भारत सरकार द्वारा पारित निःशुक्त व्यक्ति (अधिकारों के अवसर, सरंक्षण तथा पूर्ण भागीदारी (अधिनियम), 1995) 1996 का अधिनियम–1) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अनुसरण में यह निवेदन है कि दो सदस्य मनोनीत किए जाएं जबकि एक्ट में उक्त समिति में विधान सभा के दो सदस्यो के चुनाव का प्रावधान है।

Mr. Speaker: Motion moved –

This House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate two members for the State Coordination Committee in pursuance of clause 'g' of Sub Section 2 of Section 13 of the Persons wiht Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (Act-I of 1996) which providies for election of two members of Vidhan Sabha on the aforesaid Committee.

Mr. Speaker: Question is –

This House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate two members for the State Coordination Committee in pursuance of clause 'g' of Sub Section 2 of Section 13 of the Persons wiht Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (Act-I of 1996) which providies for election of two members of Vidhan Sabha on the aforesaid Committee.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned sine-die.

***16.11 Hours**

(The Sabha then adjourned* sine-die)